

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ – 250110



पत्रांक : सवप/2025/नि0प्र0अनु0/2821

दिनांक : 11.04.2025

सूचना

प्रकाशन की तिथि : 11.04.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1788727/2021/कृशिअ-67-1001(099)/301/2019 दिनांक 10.09.2021 व 21.09.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में स्वयं के व्यय पर सृजित कुल 23 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-05, सहप्राध्यापक-06 एवं सहायक प्राध्यापक-12) पर लागू किये जाने वाला आरक्षण रोस्टर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in पर अपलोड किया गया है (संलग्नक)। यदि किसी व्यक्ति को उक्त आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति है तो वह दिनांक 19.04.2025 तक अपनी आपत्ति आधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रेषित कर सकते हैं। यह सूचना माननीय कुलपति जी के अनुमोदन उपरान्त जारी की जा रही है।

संलग्नक : पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में स्वयं के व्यय पर सृजित कुल 23 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-05, सहप्राध्यापक-06 एवं सहायक प्राध्यापक-12) का आरक्षण रोस्टर


निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि :

1. अधिष्ठाता, कृषि/जैवप्रौद्योगिकी/वेटनरी/पी.जी.एस./पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी/टेक्नोलॉजी/उद्यान महाविद्यालय/ओ.एस.डी. गन्ना महाविद्यालय को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को अपने महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र/निदेशक प्रसार को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को अपने निदेशालय के सूचनापट्ट पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
3. कुलसचिव इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को कुलसचिव कार्यालय के सूचनापट्ट पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
4. डा0 दीपक सिसौदिया, प्राध्यापक/प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(12)

विभाग का नाम : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

क्रमांक संख्या	पद का नाम	प्राध्यापक (स्वयं के वित्त पर)
1	वेतनमान	As per 7 th Pay commission at academic level 14 with rationalized entry pay of Rs.1,44,200/-
2	पदों की संख्या	05
3	पद का समूह	समूह - क
4	स्थायी/अस्थायी	अस्थायी

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 27/2019/813 /67-कृशिअ-19-ए.क्यू.-3003 /82 दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के अनुसार शैक्षिक पदों पर आरक्षण विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हुये आरक्षण लागू कर 100 बिन्दुओं का रोस्टर लागू करने के निर्देश दिये गये।

भर्ती वर्ष	बिन्दु क्रमांक	रोस्टर के अनुसार अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनु. जाति/जन जाति के लिये आरक्षित	विभाग का नाम	पद नाम	नियुक्ति व्यक्ति का नाम	नियुक्ति का दिनांक	अनु.जाति/ अनु. जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो यदि हों तो वैसा अंकित किया जाये	नियुक्तकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अन्य	टिप्पणी:
2024-25	1	अनुसूचित जाति	पशुचिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा	प्राध्यापक (पशुचिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा)					
2024-25	2	अनारक्षित	पशुचिकित्सा जन स्वास्थ्य और जानपदिक रोग विज्ञान	प्राध्यापक (पशुचिकित्सा जन स्वास्थ्य और जानपदिक रोग विज्ञान)					
2024-25	3	अन्य पिछड़ा वर्ग	पशुचिकित्सा परजीवी विज्ञान	प्राध्यापक (पशुचिकित्सा परजीवी विज्ञान)					
2024-25	4	अनारक्षित	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी	प्राध्यापक (पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी)					
2024-25	5	अनुसूचित जाति	पशु पोषण	प्राध्यापक (पशु पोषण)					

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
3/2/25

[Handwritten Signature]
03/2/25

[Handwritten Signature]

(11)

विभाग का नाम : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

क्रमांक संख्या	पद का नाम	सह प्राध्यापक (स्वयं के वित्त पर)
1	वेतनमान	As per 7 th Pay commission at academic level 13A with rationalized entry pay of Rs.1,31,400/-
2	पदों की संख्या	06
3	पद का समूह	समूह - क
4	स्थायी/अस्थायी	अस्थायी

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 27/2019/813/67-कृशअ-19-ए.क्यू-3003/82 दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के अनुसार शैक्षिक पदों पर आरक्षण विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हुये आरक्षण लागू कर 100 बिन्दुओं का रोस्टर लागू करने के निर्देश दिये गये।

भर्ती वर्ष	बिन्दु क्रमांक	रोस्टर के अनुसार अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनु.जाति/जनजाति के लिये आरक्षित	विभाग का नाम	पद नाम	नियुक्ति व्यक्ति का नाम	नियुक्ति का दिनांक	अनु. जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो यदि हों तो वैसा अंकित किया जाये	नियुक्तकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अन्य	टिप्पणी
2024-25	1	अनुसूचित जाति	पशुचिकित्सा औषधि	सह प्राध्यापक (पशुचिकित्सा औषधि)					
2024-25	2	अनारक्षित	पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर	सह प्राध्यापक (पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर)					
2024-25	3	अन्य पिछड़ा वर्ग	पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूति विज्ञान	सह प्राध्यापक (पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूति विज्ञान)					
2017-18	4	अनारक्षित	पशुचिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान	सह प्राध्यापक (पशुचिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान)	डा0 आर. ए. सिद्दीकी	07.12.2018	सामान्य		
2024-25	5	अनुसूचित जाति	पशुचिकित्सा शरीर-रचना विज्ञान	सह प्राध्यापक (पशुचिकित्सा शरीर-रचना विज्ञान)					
2024-25	6	अनारक्षित	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी	सह प्राध्यापक (पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी)					

विभाग का नाम : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

क्रमांक संख्या	पद का नाम	सहायक प्राध्यापक (स्वयं के व्यय पर)
1	वेतनमान	8000-13500
2	पदों की संख्या	12
3	पद का समूह	समूह - ख
4	स्थायी/अस्थायी	अस्थायी

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 27/2019/813/67-कृशिअ-19-ए.क्यू-3003/82 दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के अनुसार शैक्षिक पदों पर आरक्षण विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हुये आरक्षण लागू कर 100 बिन्दुओं का रोस्टर लागू करने के निर्देश दिये गये।

भर्ती वर्ष	बिन्दु क्रमांक	रोस्टर के अनुसार अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुजाति/जनजाति के लिये आरक्षित	विभाग का नाम	पद नाम	नियुक्ति व्यक्ति का नाम	नियुक्ति का दिनांक	अनुजाति/अनुजन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो यदि हाँ तो वैसा अंकित किया जाये	नियुक्तकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अन्य	टिप्पणी
2024-25	1	अनुसूचित जाति	पशुचिकित्सा औषधि	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा औषधि)					
2017-18	2	अनारक्षित	पशुचिकित्सा औषधि	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा औषधि)	डा0 देश दीपक	18.12.2018	अन्य पिछड़ा वर्ग		
2017-18	3	अन्य पिछड़ा वर्ग	पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर- पशुचिकित्सा औषधि)	डा0 विनोद कुमार वरुण	21.02.2019	अनुसूचित जाति		
2024-25	4	अनारक्षित	पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर- पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूति विज्ञान)					
2024-25	5	अनुसूचित जाति	पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूति विज्ञान	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूति विज्ञान)					
2017-18	6	अनारक्षित	पशुचिकित्सा विकृति विज्ञान	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा विकृति विज्ञान)	डा0 नरेश चन्द्र	07.12.2018	अन्य पिछड़ा वर्ग		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

2024-25	7	अन्य पिछडा वर्ग	पशुचिकित्सा शल्य चिकित्सा और विकिरण-चिकित्सा विज्ञान	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा शल्य चिकित्सा और विकिरण- चिकित्सा विज्ञान)					
2017-18	8	अनारक्षित	पशुचिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान	सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान)	डा0 अक्षय गर्ग	10.12.2018	सामान्य		
2017-18	9	अन्य पिछडा वर्ग	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी	सहायक प्राध्यापक (पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी)	डा0 प्रमिला उमराव	11.01.2019	अन्य पिछडा वर्ग		
2017-18	10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पशुधन प्रक्षेत्र परिसर	सहायक प्राध्यापक (पशुधन प्रक्षेत्र परिसर- पशु आनुवंशिकी और प्रजनन)					
2024-25	11	अनुसूचित जाति	पशुधन प्रक्षेत्र परिसर	सहायक प्राध्यापक (पशुधन प्रक्षेत्र परिसर- पशुधन उत्पादन प्रबंधन)					
2017-18	12	अनारक्षित	पशुधन प्रक्षेत्र परिसर	सहायक प्राध्यापक (पशुधन प्रक्षेत्र परिसर- पशु पोषण)	डा0 राम कुमार सिंह	28.12.2018	अनुसूचित जाति		

नोट- विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय के लिये स्वयं के व्यय पर 23 (प्राध्यापक के कुल 05, सह प्राध्यापक के कुल 06 तथा सहायक प्राध्यापक के कुल 12) पद सृजित किये गये थे। जिन्हें वर्ष 2016 में शासन के शासनादेश संख्या 1028/67-कृशअ-16-ए.क्यू.3003/82 दिनांक 24 अगस्त, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में एसिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पृथक तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों हेतु पृथक विभाग को ईकाई मानते हुये आरक्षण लागू किये जाने का आदेश जारी किया गया। उपरोक्त दी गयी व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के विज्ञापित पदों पर आरक्षण विभाग को ईकाई मानते हुये लागू किया गया। तत्समय लागू शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने के कारण प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों को अनारक्षित श्रेणी में विज्ञापित किया गया था। भविष्य में वर्ष 2019 से पूर्व भरे गये सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद रिक्त होने पर शासन द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर 2019 के अनुसार रिक्त पदों पर उपरोक्तानुसार निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदों को भरने की संस्तुति की जाती है।

31/2/15

03/1/25

03/2/25